यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी, के माह 02/2015 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं मनोज कुमार सिंह पर्यवेक्षक,श्री पंकज कुमार व.लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08/03/2019 से 14/03/2019 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-I

1. **परिचयात्मकः** इकाई की पूर्व लेखा परीक्षा ----------दिनांक 10/2/2015 से 19/2/2015 तक संपादित की गई थी वर्तमान लेखा परीक्षा में 02/2015 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गई।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गढ़वाल क्षेत्र, पशुपालन योजनाओ का निरीक्षण
3. (अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	144.33	142.19	110.88	109.42	2.14	1.46
2016-17	-	-	168.06	145.39	301.39	301.06	22.67	0.33
2017-18	-	-	188.39	185.43	199.10	199.85	2.96	1.08
2018-19	-	-	195.50	189.63	207.24	177.21	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य	बचत
2015-16			25.82	25.80	0.02
2016-17			21.16	20.90	0.26
2017-18			43.29	42.74	0.55
2018-19			39.16	39.16	-

4. इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

.सचिव पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी,** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 8/2015,3/2016,3/2017,03/2018 एवं 11/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

5. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर 1: रु 524.11 लाख की पशुधन / सामग्री का क्रय बिना निविदा / बिना दर सविदा के किया जाना ।

अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 3 (1) के अनुसार समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

(2) जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाए, समस्त अधिप्राप्तियां निविदा के माध्यम से की जाएंगी।

(3) जब तक नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रतिबन्धित न किया गया हो, सभी भागीदारों को बोलियां लगाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा।

(4) अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिएं जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणों को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गई विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भण्डारण लागत (इन्वेन्टरी कैरिईगं कॉस्ट) में अनावश्यक वृद्धि न हो।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि चयनित मद सभी आवश्यकताओं की सभी प्रकार से पर्याप्त रूप से पूर्ति करती है।

(6) सभी शर्तें समान होने पर सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाये अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाये जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गई है।

(7) सक्षम प्राधिकारी को अपना यह समाधान करना होगा कि प्रस्तावित दरें युक्तियुक्त हैं और गुणवत्ता के अनुरूप हैं।

(8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिप्राप्ति के अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और जिस आधार पर अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है उसे अभिलिखित किया जाए।

(9) परक्रामण(निगोषिएशन) से बचा जाए और विशिष्ट परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले (एल–1) से ही समझौते की वार्ता की जा सकेगी तथा ऐसे परक्रामण के कारण स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाएं।

(10) निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

(11) एकरूपता बनाए रखने तथा कार्य की पुनरावृत्ति और सम्भावित त्रुटियों से बचने के लिए अधिप्राप्ति हेतु मानक निविदा दस्तावेजों का उपयोग किया जाना चाहिए।

(12) विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संविदा, निविदा के वैध समय के अन्दर ही दी जाए और निविदा की वैध तिथि बढाए जाने को हतोत्साहित किया जाए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जाए।

(13) वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम क्रेता प्राधिकारी वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखेगाः–

(एक) अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले,

(दो) व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए,

(तीन) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है, और

(चार) कोई भी प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी लाभ मिले।

अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 10 (1) के अनुसार ऐसी सामग्री और मदों के लिए, जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिन की सरकारी विभागों और एजेन्सियों को बार–बार आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा 'दर संविदा' की जा सकती है। ऐसी 'दर संविदाओं' का विवरण विभाग/शासन की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/शासन यह सुनिश्चित करेगा कि दर संविदा के मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में समान दर संविदाओं में दिए गये मूल्य से अधिक न हों।

(2) दर संविदाएं सामान्यतः एक समय में एक वर्ष के लिए की जा सकेंगी। तथापि ऐसी सामग्री के विषय में जिनके मूल्य में निरन्तर उतार–चढाव होता रहता है या जहाँ दर संविदा के वैध अवधि में मूल्यों के कम होने की प्रवृत्ति हो, अल्प अवधि के लिए दर संविदा की जा सकती है और ऐसी सामग्री के बाजार भाव पर कड़ी निगरानी रखी जाए। विशेष परिस्थितियों में, वित्त विभाग की सहमति से विभाग को भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन यथा पूर्ति और निपटान महानिदेशक (डी.जी.एस.एंड.डी.) द्वारा की गई दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। **लेखा परीक्षा मे पाया गया कि निम्न लिखित राशि रु 524.11 लाख की पशुधन / सामग्री का क्रय बिना निविदा के किया गया था जब कि नियमानुसार एक लाख से अधिक की सामग्री का क्रय खुली निविदा आमंत्रित करके किया जाना चाहिए था ।**

क्रम संख्या	वर्ष	धनराशि
1	2014-15	90,63,654.00
2	2015-16	1,83,49,519.00
3	2016-17	99,01,873.00
4	2017-18	75,64,998.00
5	2018-19	75,31,580.00
	कुल	5,24,11,624

रु 524.11 लाख के निविदा के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा पुछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि वैक्सीन व पशुधन की दरे निदेशालय स्तर से निर्धारित है इसलिए कार्यालय स्तर पर टेंडर की कार्यवाही नहीं की गयी है उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि प्रतिस्पर्धा दरो का लाभ लेने के लिए खुली निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी

ताकि व्यय की जा रही शासकीय राशि का उचित लाभ मिल सके। अत: बिना दर सविदा व बिना निविदा के सामग्री/पशुधन क्रय का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर सं0 2 रू0198.68 लाख की पशु औषधियों का क्रय राज्य के फुटकर विक्रेताओं से करके शासनादेश की शतों का उल्लघंन करके फुटकर विक्रेताओं से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती ना किये जाने का अनियमित लाभ 3.96 रू0 भी पहुॅचना।

शासना देश संख्या 1637/XV-1/13/7/(14)/11 dated 6 december 2013 की शर्तानुसार विभाग में औषधियों /वैक्सीन, उपकरणों आदि का क्रय निम्नलिखित शर्तो के अधीन ही किया जा सकता है।

1. औषधियों का क्रय ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओं से ही किया जायेगा। जिनकी वार्षिक टर्न ओवर 10.00 करोड रूपये हो, वार्षिक टर्न ओवर की पुष्टि हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रमाण–पत्र तथा केन्द्रीय उत्पाद से मुक्त राज्यों की इकाईयों से व्यापार कर प्रणाम–प. जिसमें कुल विक्रय का विवरण हो, लिया जायेगा।

2. एक बार में क्रय की गयी विभिन्न औषधियों के न्यूनतम 10 प्रतिशत बैचों के बैचवार रेण्डम नमूने औषधि प्रेषण से पूर्व आपूर्तिकर्ता के यहॉ से लेकर उनका ख्याति प्राप्त संख्या से विश्लेखण कराया जाये तथा 10 प्रतिशत बैचो के रेण्डम नमूने जनपदीय भण्डार से प्राप्त कर उनका भी विश्लेषण सुनिशिचित किया जायेगा, ताकि गुणवत्ता सुनिशिचित की जा सके।

3. आपूतिकर्ता फर्म को 90 प्रतिशत मूल्य का भुगतान औषधि/उपरकणों के सुरक्षित गंतव्य स्थल तक पहुॅचने पर देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत का भुगतान 16 सप्ताह के भीतर नियम अवधि में गुणवत्ता सबंधी जॉच प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा। नियत अवधि में गुणवत्ता संबंधी जॉच उक्तानुसार नियत 16 सप्ताह के भीतर प्राप्त किया जाना सुनिशिचित किया जायेगा।

4. यदि आपूर्ति किया गया माल अद्योमानक कोटि का पाया जाता है, तो ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा की गई जमानत राशि को जब्त करते हुए आगामी 03 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।

कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पौडी की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि पशुओ के लिये क्रय की गयी औषधियों के क्रय वाउचरों को अवलोकन करने पर पाया गया कि क्रय की औषधियों का क्रय उत्तराखण्ड राज्य के फूटकर **विक्रेताओं** से उनके ही बिलों पर किया गया था। इन विक्रेताओं के नाम मैसर्स रवि इण्टर प्राइजेज रूद्रपुर एवं गुलरी फीड सप्लायर्स देहरादूनं से ही वर्ष 2015 से वर्ष 2/2019 तक किया गया था। उक्त फर्म के बिलों में औषधि निर्माण की तिथि, औषधि वैधता समाप्ति की तिथि एवं औषधियों का बैच संख्या भी अंकित नही था। यही स्थिति औषधि से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर एवं ईनडैण्ट रजिस्टर में भी थी। उनमें भी यह तथ्य अंकित नही थे। कार्यालय में स्टोंर कीपर के द्वारा औषधियो की वैधता समाप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर नही बनाया गया हैं। औषधि के बिल रजिस्टर में यह भी पाया गया कि जिस औषधि का निर्माण माह 7/2016 था, उसकों राज्य के फुटकर **विक्रेताओं** द्वारा अपने बिलों में उसकी बिकी माह 3/2016 में पशुपालन विभाग कार्यालय को करके माह मार्च 2016 में भुगतान भी प्राप्त कर

लिया गया था। कार्यालय के द्वारा अनियमित तरीके से क्रय की गयी औषधियों के भुगतान में भी यह पाया गया कि राज्य के उन फुटकर विक्रेताओं से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती उनके बिलों से किये बिना ही तथा शासनादेश की शर्तों का पालन सुनिशिचित किये बिना ही एक मुश्त भुगतान कर दिया गया था, जोकि वित्तीय नियमों के विपरीत था। इस संबंध में पूर्व लेखापरीक्षा(आई0आर0 संख्या 100/2014–15) में आडिट आपत्ति उठायी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में मानकों का अनुपालन सुनिशिचित किया जायेगा। परन्तु कार्यालय के द्वारा मानकों का अनुपालन सम्प्रेक्षा तिथि तक सुनिशिचित नही किया गया था।

इस संबंध में कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में आडिट आपत्ति को स्वीकार करते हुऐ बताया गया कि भविष्य में क्रय की जानी वाली औषधियों का क्रय शासन/निदेशालय द्वारा अनुमोदित फर्म एवं उनकी दरों पर ही मूल विनिर्माता फर्म को जारी क्रयादेश करके प्राप्त उनके ही बिलों को ही भुगतान हेतु स्वीकार करते हुऐ केवल ही मूल विनिर्माता फर्म को ही औषधियों का भुगतान किया जायेगा। पूर्व में हो चुकी तुटि की पुर्नावृत्ति भविष्य में नही होगी।

विभाग उत्तर सन्तोषजनक नही है, क्योकि पूर्व में भी क्रय की गयी अनियमित तरीके से क्रय की गयी औषधियों पर आडिट आपत्ति उठायी गयी थी,जिसमें भी यही आश्वासन दिया गया था। परन्तु फिर भी शासन/निदेशालय के आदेशो का पालन सुनिशिचित किये बिना ही राज्य की फुटकर विक्रेता फ़र्मों को अनियमित लाभ पहुचाने के उद्वेश्य से औषधि का क्रय एवं सामग्री गुणवत्ता जॉच कराये बिना ही एक मुश्त सम्पूर्ण भुगतान आयकर कटौती किये बिना ही किया गया था। जोकि शासन द्वारा जारी शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 – अर्जित ब्याज राशि रू0 1.47 लाख को ब्याज प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत जमा न किया जाना।

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि बैंक खातों पर अर्जित ब्याज राशि को यथाशीर्घ ब्याज प्रति शीर्ष '0049' के अन्तर्गत जमा कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्देश न हो। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के बैंक खातों की जॉच में संज्ञान में आया कि कार्यालय द्वारा संचालित बैंक खातों पर अर्जित ब्याज वित्तीय नियमों के विरूद्ध ब्याज प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार में जमा नहीं किया जा रहा था। राजकीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0आई0) से सम्बन्धित स्टेटे बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 31522304450 में फरवरी 2019 में रू0 18.33 लाख का शेष था जिस पर वर्ष 2015 के उपरान्त से विभाग द्वारा रू0 1.47 लाख का ब्याज अर्जित किया गया था जिसे सम्प्रेक्षा तिथि (मार्च 2019) तक ब्याज प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत जमा नहीं किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि अर्गित ब्याज को यशाशीघ्र कोषागार में जमा करा दिया जायेगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अर्गित ब्याज को अवश्य ही कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिए था।

अतः अर्जित ब्याज को कोषागार में जमा न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1	100/2014-15	-	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

अप्रस्तुत

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	डा. श्री एस के सिंह बर्त्वाल	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - II